महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–परिवाद / 2019 / 23056-96 दिनांकः– 19-7-2019

स्थाई आदेश संख्या 03/2019

विषयः–परिवाद पंजिका संधारण करने बाबत निर्देश।

निम्नहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि विभिन्न स्तरो से प्राप्त परिवादो का संधारण एक ही पंजिका में किया जा रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न उच्च स्तरों से प्राप्त महत्वपूर्ण परिवाद प्रकरण का निर्धारित समय में अनुपालना सुनिश्चित करने एवं मॉनीटरिंग करने में कठिनाई होती है। अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विभिन्न स्तरो से प्राप्त परिवादो का निम्नांकित तीन वर्गो ए.बी. सी. में वर्गीकरण कर पंजिका संधारण की जावें । ताकि प्रकरणों का तत्काल एवं समयावधि में निस्तरण हो सकें ।

निम्न प्रकार से परिवाद पंजिका तीन वर्गो A,B,C में वर्गीकरण कर संधारण की जावें :– (सुलभ हेतु प्रपत्र संलग्न है)

(A) राज्य सरकार, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न उच्च स्तरों से प्राप्त परिवाद प्रकरण जिनकी आवश्यक जांच प्रतिवेदन उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाना हो।

(B) ऐसे परिवाद प्रकरण जिनकी जांच अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाई जाकर अपने स्तर से निस्तारित की जानी है ।

(C) ऐसे परिवाद प्रकरण जिनमें जांच कर स्वयं के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण की जानी हो।

प्रतिमाह परिवादों के वर्गीकरणानुसार परिवादों के निस्तारण के लिए एक गोशवारा तैयार कर समीक्षा की जावे। पंजिका में निस्तरण के क्रमांक / दिनांक का अंकन लाल पेन से किया जावें। पंजिका A में अंकित प्रकरणों का निस्तारण दी गई समयावधि में किये जाने का विशेष ध्यान रखा जावें ।

अतः आपको स्थाई रूप से निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार पंजिकाओं को संधारण कर भविष्य में परिवाद / जांच में जो समयावधि निर्धारित की जाती है उसी समयावधि में जॉच रिपोर्ट भिजवाया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

उक्त स्थाई आदेश माह जुलाई, 2019 से प्रभावी होगा।

(एन.आर.के.रेड्डी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—
1.महानिरीक्षक कारागार प्रथम/द्वितीय राजस्थान, जयपुर
2.उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
3.कार्यालयाध्यक्ष, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
4.निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर
5.समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान
6.प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
7.समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह/ जिला कारागृह, 'ए' एवं 'बी' श्रेणी राजस्थान
8.अधीक्षक/उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, राजस्थान
9.समस्त अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
10.प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

परिवाद पंजिका संधारण प्रपत्र प्रारूप (A, B, C)

1.मुख्यालय स्तर के परिवाद

परिवाद पंजिका	विवरण
A	ऐसे परिवाद जिस पर राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार विभाग, राज्य सरकार, लोकायुक्त एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा रिपोर्ट चाहे जाने पर कारागार रेन्ज कार्यालयों एवं अन्य कारागृहों से मुख्यालय स्तर पर रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधितों को रिपोर्ट भेजी जानी हो।
B	ऐसे परिवाद प्रकरण जिन पर कारागार रेन्ज कार्यालयों एवं अन्य कारागृहों से रिपोर्ट प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर निस्तारण किया जाना हो।
C	ऐसे परिवाद प्रकरण जो मुख्यालय द्वारा कारागार रेन्ज कार्यालयों एवं अन्य कारागृहों को उनके स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण करने हेतु प्रेषित किये जाने हो।

2.रेन्ज कार्यालयों के स्तर पर

परिवाद पंजिका	विवरण
A	ऐसे परिवाद जिस पर मुख्यालय, राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार विभाग, राज्य सरकार, लोकायुक्त एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा रेन्ज कार्यालयों से रिपोर्ट चाहे जाने पर संबंधितों को रिपोर्ट भेजी जानी हो।
B	ऐसे परिवाद प्रकरण जिन पर कारागार रेन्ज कार्यालयों द्वारा अपने अधीन कारागृहों से रिपोर्ट प्राप्त कर अपने स्तर पर निस्तारण किया जाना हो।
C	ऐसे परिवाद प्रकरण जो कारागार रेन्ज कार्यालयों द्वारा अपने अधीन कारागृहों को उनके स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण करने हेतु प्रेषित किये जाने हो।

3.अधीक्षक/उपाधीक्षक/केन्द्रीय/जिला कारागृहों के स्तर पर

परिवाद पंजिका	विवरण
A	ऐसे परिवाद जिस पर मुख्यालय कारागार, कारागार रेन्ज कार्यालयों, राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार विभाग, राज्य सरकार, लोकायुक्त एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा रिपोर्ट चाहे जाने पर संबंधितों को रिपोर्ट भेजी जानी हो।
B	ऐसे परिवाद प्रकरण जिन पर केन्द्रीय/जिला कारागृहों के कार्यालय द्वारा अपने अधीन कारागृहों से रिपोर्ट प्राप्त कर अपने स्तर पर निस्तारण किया जाना हो।
C	ऐसे परिवाद प्रकरण जो केन्द्रीय/जिला कारागृहों के कार्यालय द्वारा अपने अधीन कारागृहों को उनके स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण करने हेतु प्रेषित किये जाने हो।

नोटः- प्राप्त परिवादों का माह के अंत में गोशवारा तैयार किया जावे तथा चाहे गये प्रकरणों की जांच रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में आवयक रूप से भिजवाये जाने का विशेष ध्यान रखा जावे।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1.महानिरीक्षक कारागार प्रथम/द्वितीय राजस्थान, जयपुर
2.उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
3.कार्यालयाध्यक्ष, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
4.निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर
5.समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान
6.प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
7.समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह/ जिला कारागृह, 'ए' एवं 'बी' श्रेणी राजस्थान
8.अधीक्षक/उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, राजस्थान
9.समस्त अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
10.प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

– ह० –

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर